फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मनोहरसिंह　　विपक्षी : श्री हरिसिंह

किस्म मुकदमा – 88,53,188 रा0का0अ0　　पत्रावली संख्या : 147/11

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	

दिनांक :– 04.01.2024

पत्रावली अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी मय आपसी राजीनामा का पेश करने पर तलब की गई। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश कर राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया। उक्त राजीनामें अनुसार वादी द्वारा आपसी राजीनामा हो जाने से वाद में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा राजीनामें अनुसार अपने प्रतिवाद में धारा 53, 88 की दाद नहीं चाहकर धारा 53, 88 की दाद को ड्रोप किया जाकर धारा 188 रा.का.अ. के तहत् वादी को स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने बाबत् राजीनामा प्रस्तुत किया। वादी द्वारा उक्त प्रतिवाद को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान उपस्थित होकर प्रकरण आपसी राजीनामा हो जाने से आपसी राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया। अतः उपरोक्त विवेचन एवं राजीनामा के आधार पर वादी का वाद राजीनामा अनुसार खारिज व प्रतिवादी का प्रतिवाद की धारा 188 रा. का.अ. अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रतिवादी का प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा राणावतों का गुडा पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 3846/1 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 4690/3846 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादी दखलन्दाजी नहीं करें। प्रतिवादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2024.01.13 11:48:01 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S

उनवान

1. श्री मनोहरसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी राणावतों का गुडा तह. मावली।**मृतक**
1/1 श्री चन्दनसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत निवासी राणावतों का गुडा तह. मावली।
1/2 श्री किशोरसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत निवासी राणावतों का गुडा तह. मावली।
1/3 श्रीमती उल्लासकुंवर पिता मनोहरसिंह राजपूत निवासी विला तीतरडी तह. गिर्वा।
1/4 मु. हेमाकुंवर पत्नी मनोहरसिंह राजपूत निवासी राणावतों का गुडा तह. मावली।
2. श्री मानसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी राणावतों का गुडा तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री हरिसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी राणावतो का गुडा तह. मावली।
2. श्री तख्तसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी राणावतों का गुडा तह. मावली।
3. श्री रघुनाथसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी राणावतों का गुडा तह. मावली।
4. श्री विजयसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी राणावतों का गुडा तह. मावली।
5. श्रीमती सोसरकुंवर पिता दौलतसिंह पत्नी लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी मटुण तह. गिर्वा।
6. श्रीमती गुलाबकुंवर पिता दौलतसिंह पत्नी तख्तसिंह राजपूत निवासी ढिकली तह. गिर्वा।
7. श्रीमती प्रतापकुंवर पिता दौलतसिंह पत्नी भेरूसिंह राजपूत निवासी बिछडी तह. गिर्वा।
8. श्रीमती सुरजकुंवर पिता दौलतसिंह पत्नी सरदारसिंह राजपूत निवासी देबारी तह. गिर्वा।
9. मु. चतरकुंवर पत्नी दौलतसिंह राजपूत निवासी राणावतों का गुडा तह. मावली।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 147/11 (वाद) GCMS No. – 2011/00193

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रतिवादी का प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा राणावतों का गुडा पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 3846/1 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 4690/3846 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादी दखलन्दाजी नहीं करें। प्रतिवादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.01.2024 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2024.01.13 11:48:01 IST
Reason: SelfAttested